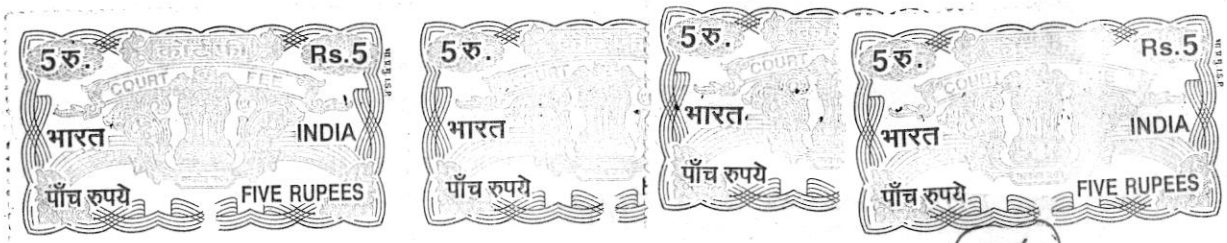

5रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(56)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी – 6480/2018/रायसेन/भू.रा. प्रकरण कमांक..........

हाकम सिंह आत्मज देवी सिंह मिर्धा

निवासी–कस्बा बरेली

जिला– रायसेन ---------- अपीलार्थी

विरूद्ध

राजेन्द्र मिर्धा पुत्र जमनासिंह मिर्धा

निवासी–कस्बा बरेली होली चौक के पास बरेली

जिला– रायसेन ---------प्रतिअपीलार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 650/अपील/2017–2018 में पारित आदेथ दिनांक 01–10–2018 से परिवेदित एवं दुःखी होकर यह अपील समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

अपीलार्थी हाकम सिंह आत्मज देवी सिंह मिर्धा निवासी–कस्बा बरेली जिला– रायसेन के द्वारा तहसीलदार बरेली के समक्ष इस आथय का आवेदन प्रस्तुत किया कि प्रतिअपीलार्थी राजेन्द्र मिर्धा पुत्र जमनासिंह मिर्धा निवासी–कस्बा बरेली होली चौक के पास बरेली जिला– रायसेन द्वारा अपीलार्थी के द्वार के सामने 20x30 वर्गफिट पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है साथ ही बलात कब्जाकर रूढ़ीगत रास्ते को अवरूद्ध कर रहा है। इस पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 47/बी–121/2016–2017 पर दर्ज करते हुए पटवारी प्रतिवेदन प्रतिअपीलार्थी के कथन प्राप्त कर विधिवत जॉच कार्यवाही करने के पथ्चात् प्रतिअपीलार्थी का अवैध निर्माण एवं रास्ते पर अतिकमण पाया गया जिसे तहसीलदार बरेली द्वारा अवैध कब्जे से बेदखल करने एवं 10,000/–(दस हजार) रूपये अर्थदण्ड जुर्मान के आदेथ दिये । जिसके विरूद्ध प्रतिअपीलार्थी द्वारा अनविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तत की जिसे अनविभागीय अधिकारी ने उनके

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (हाकमसिंह/राजेन्द्र मिर्धा)

प्रकरण क्रमांक निगरानी-6480/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-12-2018	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री अखिलेख तिवारी उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वतीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	